(1)

प्रा0पत्र / 42 / 2023

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

श्रीमती चम्बल देवी पुत्री कुन्दन धर्मपत्नी बैजूराम जाति माली निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार तामील जरिये तहसीलदार नदबई

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 18(4) के प्रोवीजो अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट आफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चरर परपजेज) 1970

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

उपस्थित :–

1–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक प्रार्थी,

2–पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 27.12.2024

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के लिए सहायक कलक्टर नदबई के यहाँ दावा उनवानी चम्बल देवी बनाम राजस्थान सरकार संख्या 158 / 13 प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा दिनांक 23.2.2015 को करते हुये प्रार्थीया के हक में डिक्री पारित की। खातेदारी की डिक्री इस आधार पर प्रदान नहीं की, क्यों कि प्रार्थीया के गैर खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 960 रकवा 0.25 ऐयर कस्वा नदबई क्षेत्र में स्थित है। गैर खातेदारी से खातेदारी देने में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट ऑफ और एग्रीकल्चरल परपजेज) 1970 के नियम 18(4) में जोडे गये प्रोवीजो के अन्तर्गत जिला कलक्टर सक्षम हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार से खातेदारी के इन्द्राज करने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिस पर इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.5.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.5.2022 के विरूद्ध माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर न्यायालय में एक अपील दायर की गई।

मा0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपीलान्ट की अपील सं0 96 / 2022 उनवानी श्रीमती चम्बल देवी बनाम तहसीलदार नदबई निर्णय दिनांक 25.07.2023 से न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(10)

उचित अवसर देते हुए राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 (4) में वर्णित प्रोविजों जिसमें शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार दिए जाने से सम्बन्धित प्रावधान में उल्लेखित है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.05.2015 जिसके द्वारा उक्त अधिकार संबन्धित जिला कलक्टर को दिए गए हैं, के तहत परीक्षण कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पुनः नए सिरे से समुचित निर्णय पारित करें।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। मा0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.7.2023 में दिये गये आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय ने उल्लेख किया है कि राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 (4) में वर्णित प्रोविजों जिसमें शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार दिए जाने से सम्बन्धित प्रावधान में उल्लेखित है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.05.2015 जिसके द्वारा उक्त अधिकार संबन्धित जिला कलक्टर को दिए गए हैं के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार निर्णय की पालना में उक्त प्रार्थना पत्र पर राजस्व शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 18 (4) की पालना में कार्यवाही की जानी है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2015 की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को नियमों के तहत कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की प्रति एंव सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2015 की प्रति न्यायायल के निर्णय के साथ प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को आवंटन नियम 1970 के नियम 18 (4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)